<u>आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर</u>

आई.सी.डी.एस. अपील वाद संख्या –99 / 2023

अल्पना

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

<u>आदेश</u>

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
23.03.2023	यह अपीलवाद समाहर्त्ता, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के वाद संख्या–25 / 2020 में दिनांक 18.06.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रस्तुत वाद 2006 के मार्गदर्शिका से आच्छादित है जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा सुने गये अपील के विरुद्ध पुनः अपील सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदिका का चयन आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका नियुक्ति मार्गदर्शिका 2006 से हुआ है । उन्होने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि जिला पदाधिकारी के द्वारा सुने गये अपील के विरुद्ध पुनः अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। आवेदिका को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाद चयन मार्गदर्शिका 2006 से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि जब जिला पदाधिकारी द्वारा	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	प्रश्नगत मामले की सुनवाई अपील के रुप में किया जा चुका है तो एक ही आदेश (जिला प्रोग्राम पदाधिकारी) के विरुद्ध दो न्यायालयों (समाहर्त्ता एवं आयुक्त) में वाद दायर करना Res Judicata के सिद्वांत के विरुद्ध है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर अस्वीकृत किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL